

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

14/12/22

होना ही, रिपोर्ट है कि प्रार्थी के पिता का नाम, संलग्न जमावकी अनुसूची के तहत  
2049-52 में खोदना का नाम मगा पिता परदा दोगा दर्ज किया है जमावकी रोजेरा संख्या 2053-2054  
में मगा पिता परदा के बजाय मगा पिता परदा दोगा दर्ज हो गया। तब से आदिनांक तक प्रार्थी के पिता का नाम  
दोगा ही चला आ रहा है अतः संलग्न जमावकी रिपोर्ट अनुसूची मगा पिता परदा दोगा के बजाय मगा पिता परदा  
किया जाना उचित है। जमावकी संख्या 2070-73 में खोदना सं. 85 में नाम सं. 42 दिनांक 13.07.15 के विवरण  
में मगा पिता परदा 73 दोगा के बजाय दौलतसिंह, लहरसिंह, लालसिंह, मांगु कुंवर, सोसर कुंवर पिता मगा 73 दोगा  
दर्ज हुआ। अतः उक्त खोदना के पिता का नाम मगा ही बजाय मगा दोगा दर्ज किया जाना उचित है रिपोर्ट के साथ

रिपोर्ट तहसीलदार / नयब तहसीलदार

इ. ए. ए. थामला  
13-12-2022 पटवारी/मावली

रिपोर्ट पटवारी आनसोल मुंब पान R.R चामला के  
अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड  
में मगा ~~के~~ के बजाय मगा पिता जाना  
की अनुसूची की छाती है।

तहसीलदार (भू.अ.) मावली  
जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार मावली व पटवारी पटवार हल्का आनसोल की रिपोर्ट अनुसार  
मौजा (आनसोल) दोबडरि गोदला पटवार हल्का आनसोल की आराजी नम्बर  
2508, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516 में प्रार्थी  
दौलत सिंह, लहरसिंह, लालसिंह, मांगु कुंवर, सोसर कुंवर के पिता का  
नाम मगा गलत दर्ज होने से सही किया जाने का निवेदन किया।  
अतः रिपोर्ट एवं दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी के पिता के पिता के  
पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में मगा के बजाय मगा उर्फ मगा उर्फ  
मैदासिंह किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली केसल सुमार  
होकर नम्बर से कम है।

निर्णय सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.ओ.) मावली  
उपखण्ड अधिकारी  
मावली, जिला उदयपुर